☆ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी जयसिंह
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 158/2017

1. भवर लाल पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी मीलों की ढाणी तन नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. उम्मेद सिंह पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी मीलों की ढाणी तन नवलगढ जिला झुन्झुनू
3. मूलचन्द पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासीगंण मीलों की ढ़ाणी तन नवलगढ जिला झुन्झुनू।

—वादीगण

— बनाम —

1. मु॰ परमेश्वरी पुत्री सुरजाराम स्त्री मघाराम जाति जाट निवासी दुर्जनुपरा वार्ड नम्बर 05 चेलासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. बिडदूराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी मीलों की ढ़ाणी तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

2/1 मु॰ चावली पत्नी बिड़दूराम जाति जाट निवासी मीलों की ढाणी तन नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

2/2 भगवान सिंह पुत्र बिड़दूराम जाति जाट निवासी मीलों की ढाणी तन नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

3. श्योनाथ पुत्र गुला जाति जाट निवासी मीलों की ढाणी तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. हरलाल पुत्र गुला जाति जाट निवासी मीलों की ढाणी तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. श्रीचन्द पुत्र गुला जाति जाट निवासी मीलों की ढाणी तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. महेश पुत्र गुला जाति जाट निवासी मीलों की ढाणी तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. मनोहरी पुत्री गुल्लाराम स्त्री शीशराम
8. मु॰ भंवरी पुत्री गुल्लाराम स्त्री महेश जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. मु॰ छोटी पुत्री गुल्लाराम स्त्री श्योपाल जाति जाट निवासी धमोरा हाल मुकुन्दगढ मण्डी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
10. मु॰ मनभरी देवा गुलाराम जाति जाट निवासी मीलों की ढाणी दुर्जनपुरा वार्ड नम्बर 05 नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
11. तहसीलदार तहसील नवलगढ़।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

उपस्थितवकील वादी – श्री अशोक जांगिड़

दावा घोषणार्थ,स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन
राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 88, 188, 53
तथा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

—2

Scanned with CamScanner

दायर की गई। अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2017 से अपील स्वीकार कर प्रकरण उभय पक्ष को समुचित सुनकर तनकीवार निर्णय करने के निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया। न्यायालय में प्रकरण प्राप्त होने पर उभय पक्ष उपस्थित हुए। तदुपरांत दौराने सुनवाई प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने तर्क दिया कि वाके ग्राम मीलों की ढाणी तहसील नवलगढ में मंगला नामक व्यक्ति हुआ। उक्त मंगला की वंशावली वाद–पत्र के पैरा नम्बर 1 में अंकितानुसार है। मंगलाराम के चार पुत्र हुये जिसमें हनुताराम नाम का पुत्र भी हुआ। हनुताराम के दो पुत्र पोकर व जवाहराम हुये। जवाहराराम अविवाहित नाऔलाद फौत हो गया। हनुताराम के हिस्से में वादी केवल अकेला वारिस रहा। ग्राम मीलों की ढाणी तन नवलगढ की सारहद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 258 रकबा 33 बीघा 13 बिश्वा, खसरा नम्बर 261 रकबा 1 बिश्वा, खसरा नम्बर 262 रकबा 39 बीघा 7 बिश्वा पुख्ता कुल किता 3 कुल रकबा 73 बीघा 1 बिश्वा रहे जिसमें वादी (मृतक पोकर) का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 (मृतक सुरजा का) हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 2 (मृतक बिड़दूराम) का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी नम्बर 3 (मृतक गुल्लाराम) का हिस्सा 1/4 रहा और इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 मौके पर भौतिक रूप काबिज काश्त रहे। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की पैतृक हक अधिकार व खातेदारी काश्त की भूमि रही है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय मंगलाराम की खातेदारी काश्त की भूमि रही है जिसके पुराने खसरा नम्बर 258, 261, 262 जिसके नये खसरा नम्बर 507, 511, 514, 517, 3763/510, 504, 505, 505, 508, 509, 510, 512, 513, 515 कुल रकबा 16.25 हैक्टर वाके ग्राम मीलों की ढाणी तन नवलगढ में स्थित रही है। मंगला के चारो पुत्रों का बराबर–बराबर 1/4–1/4 हक हिस्सा रहा है जिसमें से मंगलाराम के एक पुत्र बिड़दूराम ने अपने 1/4 हिस्से में से आधी जमीन जगदीश ब्राहमण व नथू माली को विक्रय कर दी जिसमें गुल्ला, मंगला व सुरजा की सहमति रही है। वादी की कोई सहमति नही रही है। उक्त विक्रीत भूमि के नये खसरा नम्बर 518 है जिसका कोई विवाद नही हैं। इस प्रकार बिड़दूराम के विक्रय करने के पश्चात जो शेष रही भूमि 16.25 हैक्टर में वादी का हिस्सा 7/24 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 प्रत्येक का हिस्सा 7/24–7/24 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/8 रहा है इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त रहे है। स्वर्गीय मंगला के चारो पुत्रों में हनुताराम की मृत्यु जवानी में ही हो गई थी। उस वक्त पोकर 3 वर्ष का तथा जुहारा 1 वर्ष का था तब हनुताराम की पत्नी यानि की वादी पोकर की माता ने अपने सगे देवर सुरजा जो अविवाहित था से शादी कर ली क्योंकि जाट जाति में इस तरह की परम्परा रही है और पूर्व पति से पैदा बच्चों का पालना पोषण भी किया जाने की परम्परा रही है जिसके चलते वादी की माता ने सुरजा से शादी कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती रही है। वादी पोकर का एक भाई जुहारा जो 8--10 वर्ष की आयु में चल बसा और वादी की माता ने सुरजा से शादी कर ली इस प्रकार हनुताराम के हिस्से 7/24 का हकदार वादी पोकर रहा है। वादी पोकर अपने हिस्से की भूमि को हमेशा से काश्त करता रहा है। वादी के वाद पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 द्वारा जवाबदेही प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 सुरजा व गुल्लाराम ने वाद पत्र का जवाब दावा में वाद पत्र में वर्णित भूमि नवलगढ में स्थित होना स्वीकार किया है। जवाब दावा के पैरा नम्बर 1 को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है यानि कि स्वर्गीय मंगला की वंशावली को स्वीकार किया है। जवाब दावे के पैरा नम्बर 2 में हनुता को मंगलाराम का पुत्र होना भी स्वीकार किया है। जवाब दावे की धारा 3 में हनुताराम की मृत्यु के समय वादी पोकर को 3 वर्ष का न मानकर 6 वर्ष का माना है यानिक की हनुमाराम की मुत्यु के समय पोकर पैदा हो गया यह भी स्वीकृत तथ्य है। यहां वादी की माता द्वारा सुरजा की चूड़ी पहनकर शादी करना भी स्वीकार करते है और वादी की माता व सुरजा के नुपते से एक पुत्री परमेश्वरी पैदा होना स्वीकार करते है। वादी को आवारा व्यक्ति मानकर बाहर जाना बताया है। जवाब दावा की धारा 5 मे मंगलाराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को भूमि बाटकर देना कहा है और जवाब दावा की धारा 3 में वादी पोकर को आवारा किस्म का व्यक्ति

उपखण्ड अधिकारी

भूमि रही है जो पीढीयो से चली आ रही है ।   ---2

Scanned with CamScanner

मानकर बाहर जाना बताया है। जवाब दावा की धारा 7 की अन्तिम पंक्ति में वादी पोकर को 1 बीघा जमीन खास प्रतिवादी सुरजाराम द्वारा वादी को बताई हुई है माना है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब दावा की धारा 1 में वादी पोकर को हनुताराम व उसकी पत्नी सुरजा के नुपते से पैदा होना माना है तथा हनुताराम की मृत्यु के समय पोकर की उम्र भी 4–5 वर्ष मानी है पोकर को सुरजा द्वारा गोद लेकर उसकी माता से शादी करना माना है। सुरजा द्वारा पोकर का पालना पोषण कर शादी करना भी माना है। जवाब दावे की धारा 2 में वादी पोकर को सुरजा के साथ वादग्रस्त भूमि को काश्त करना माना है और 1987 में वादी की माता का स्वर्गवास होना माना है और पुराने खसरा नम्बर 258 मे से 11 बीघा 4 बिस्वा जमीन जो प्रतिवादी सुरजा के हिस्से की थी पर अलग से काबिज हो गया और काश्त करने लगा जिसके नये खसरा नम्बर 511, 514, 507 है। वह प्रतिवादी संख्या 2 का स्वीकृत कथन रहा है। जवाब दावा की धारा 3 में पोकर को सुरजा का दत्तक पुत्र मान रहा है। पोकर की माता द्वारा सुरजा से शादी करना और हनुता की मृत्यु के समय पोकर की उम्र 4–5 वर्ष होना स्वीकार करता है। दस्तावेजात राशन कार्ड, वोटरलिस्ट आदि में पोकर के पिता का नाम सुरजा सही दर्ज होना स्वीकार करता है। सुरजा द्वारा गोद लेना यानि की पोकर जायन्दा पुत्र हनुताराम का है सुरजा का जायन्दा पुत्र नही है। सुरजा द्वारा गोद लेने का कोई प्रमाण नही है। पालन पोषण सुरजा ने किया ऐसी स्थिति में कुछ दस्तावेजों में पोकर के पिता का नाम गलत रूप से सुरजा दर्ज होने से सुरजा का पुत्र नही माना जा सकता है। इस प्रकार वादी के वाद–पत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया है। जवाब दावा आने पर न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई है जिसमें तनकी नम्बर 1 में वर्णित कुल भूमि 16.25 हैक्टर में वादी का हिस्सा 7/24 व विधुत कनेक्शन व पम्पिंग सैट में हिस्सा 1/4 होने व खातेदार काश्तकार है, को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी नम्बर–1 में वर्णित तथ्य जो वादी को साबित करने है उनमें सबसे पहला प्रश्न पैदा यह होता है कि वादी पोकर स्वर्गीय मंगलाराम का वारिस है या नही और वादग्रस्त भूमि मंगलाराम की खातेदारी काश्त की पैतृक भूमि रही है या नही। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपने जवाब दावा में इस प्रश्न को स्वयं स्वीकार कर यह साबित किया है कि वादग्रसत भूमि मंगलाराम की खातेदारी काश्त की पैतृक भूमि रही है तथा स्वर्गीय मंगलाराम की वंशावली को भी स्वीकार कर मंगला के पुत्र हनुता व हनुता के पुत्र पोकर का पैदा होना भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अब तनकी नम्बर 1 में न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न पूर्णरूप से साबित हो गया कि भूमि मंगलाराम की खातेदारी की पैतृक रही है और वादी पोकर उसका प्रथम अनुसूची का वारिस है। कानूनन जो तथ्य वादी व प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत होते है उन्हे साबित करने की आवश्यकता नही होती हैं। इस वाद में तनकी नम्बर–1 में मंगलाराम की सम्पति में क्या हनुता का अधिकार था जो मंगलाराम के जीवनकाल में ही फौत हो गया था और हनुता का वादी पुत्र है या नही। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की जवाबदेही से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भूमि मंगलाराम की पैतृक रही है और हनुता उसका पुत्र है तथा हनुता का पुत्र पोकर है ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी अपने पूर्वजों से प्राप्त भूमि में हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। किसी भी प्रतिवादीगण ने इस तथ्य को इन्कार नही किया है और अलग से साबित नही किया है कि हनुता को इस भूमि में किस कारण से हक अधिकार प्राप्त नही है। जहां तक वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का प्रश्न है वादी ने नकल जमाबंदी, नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल खसरा गिरदावरी, नकल मुआवजा पत्र, नकल विधुत बिल, नकल क्षतिपूर्ति पत्र आदि पेश किये है जिसमें खसरा गिदावरी सम्वत् 2016 में वादी पोकर पुत्र हनुता 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त दर्ज रहा है। इसी प्रकार दिनांक 28.10.2014 को राजस्थान विधुत नियामक आयोग के पारेषण लाईसेंस द्वारा लाईन के निर्माण में होने वाली क्षति के मुआवजा के विषय में जो मुआवजा राशि 15,250/– रूपये दी गई है वह वादी पोकर के फौत होने से उसके हिस्से पर काबिज पोकर के पुत्र भंवरलाल पुत्र पोकर को अदा की गई है, जिसमें 1.00 हैक्टेयर में चने की फसल का नुकसान होने पर दी गई है। उक्त कम्पनी के अधिकारियों द्वारा मौके पर भंवरलाल को काबिज काश्त माना है। इस प्रकार प्रतिवादीगण की तमाम स्वीकारोक्ति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह भलीभांति साबित है

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

—2

Scanned with CamScanner

कि वादी मृतक पोकर स्वर्गीय मंगला के पुत्र हनुता का पुत्र है उसका वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा है तथा मौके पर भौतिक रूप से काबिज रहा है। अब न्यायालय के समक्ष प्रश्न है कि वादग्रस्त भूमि में स्थित विधुत पम्पिग सैट में वादी का हिस्सा है या नही जबकि वादी का रिकार्ड में नाम दर्ज नही हुआ और विश्वास से मौके पर काबिज काश्त रहा है और विधुत पम्पिंग सैट में अपने 1/4 हिस्से का खर्चा देता रहा है उक्त विधुत पम्पिंग सैट से अपने हिस्से की भूमि को सिचिंत करता रहा है तो वादी का उक्त विधुत पम्पिंग सैट में हिस्सा कैसे नही है जब प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से जवाब दावा में यह स्वीकार करते है कि खसरा नम्बर 258 मे से 11 बीघा 4 बिश्वा भूमि काश्त करता है। विधुत कम्पनी भी मुआवजा राशि चना की फसल के नुकसान का देता है ऐसे में यह तथ्य भी वादी के पक्ष में है। वादी पोकर के पूर्व बयान व वर्तमान में भंवरलाल के बयानों में यह कही नही आया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नही रहा है बल्कि जिरह से यह प्रमाणित है कि मंगला का पुत्र हनुता था हनुता के पोकर पैदा हुआ जिसका मौके पर कब्जा काश्त है। इस तरह तनकी नम्बर 1 पूर्णतया वादी द्वारा साबित की गई है। प्रतिवादीगण की यह जवाबदेही नही रही है कि वादी के पास इस भूमि के अलावा मंगलाराम ने अन्य कोई जमीन देकर अलग किया हो। तनकी नम्बर–2 स्थाई निषेधाज्ञा के लिये है। जब वादी द्वारा स्वर्गीय मंगलाराम की पैतृक भूमि कें अपना 1/4 हिस्सा साबित कर 1/4 हिस्सा पर कब्जा काश्त होना साबित कर दिया है हालांकि प्रतिवादीगण ने वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त स्वीकार किया है भली भांति वह दबी जुबान से 1 बीघा पर ही किया हो उसमें मकान बने हुये है विधुत कनेक्शन है मोके पर फसल काश्त कर रखी है वह खसरा गिरदावरी व फसल मुआवजा राशि पात्र से स्पष्ट होता है। इस प्रकार तनकी नम्बर–2 भी वादी अपने पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है। तनकी नम्बर–3 का भार भी वादी पर है। जब वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार व मौके पर कब्जा काश्त साबित कर तनकी नम्बर 1 साबित कर चुका है तो मौके पर वादी को उसका हिस्सा 7/24 का बंटवारा कर सम्भलाया जाना व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करना न्यायोचित है। तनकी नम्बर 1 में वादी अपनी खातेदारी व मंगला का विधिक वारिस होने के आधार पर खातेदार काश्तकार है तो उसे बंटवारा कर भूमि सम्भलाई जाने में कोई बाधा नही रह जाती है। तनकी नम्बर–4 कानूनी प्रावधान से सम्बन्धित है। प्रथम तो प्रतिवादी नम्बर 5 के विरूद्ध वादी में कोई सहायता नही चाही गई है। प्रतिवादी संख्या 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर कोई आपति अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी बाबत नही की है। कानूनन अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी के नोटिस नही दिये जाने की आपति केवल वह पक्षकार कर सकता है जिसके विरूद्ध अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया गया हो यह केवल इस तरह की आपति का अधिकार प्रतिवादी संख्या 5 को है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने आर.आर.डी. 1974 पेज नम्बर 271 मे यह प्रतिपादित किया है कि लोकसेवक को 80 सीपीसी के नोटिस का ऐतराज केवल लोक सेवक उठा सकता है अन्य पक्षकार नही। ऐसे में इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर होने से उनके खिलाफ स्वतः ही साबित हो जाती है। तनकी नम्बर 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है जब वादी द्वारा तनकी नम्बर 1 लगायत 3 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है तो यह तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वतः ही साबित है। तमाम साक्ष्य व वादी के वाद के प्रकथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपने जवाब दावे में स्वीकार कर निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया है हालांकि कानूनन जिन कथनों को विपक्षी पक्षकार द्वारा स्वीकार कर लेने पर उन्हे साक्ष्य से साबित करना आवश्यक नही है वादी के वाद में वादग्रस्त भूमि मंगलाराम की पैतृक भूमि साबित है। मंगलाराम की वंशावली प्रतिवादीगण स्वीकार करते है जब मंगलाराम की पैतृक भूमि है तो उसके वारिस हनुता का 1/4 हिस्सा है और हनुता का पुत्र पोकर है इस तथ्य को प्रतिवादीगण अपने जवाब दावा में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते है तथा साक्ष्य से भी पूर्णतया साबित है प्रतिवादीगण की ओर से कोई अब उपस्थित नही रहा है रिमाण्ड होने के पश्चात न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय झुन्झुनू के आदेशानुसार वादी द्वारा पुनः साक्ष्य सबूत पेश किया गया है। जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा कोई क्रोस नही हुई है। प्रकरण वर्तमान में एक पक्षीय है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

एकपक्षीय साक्ष्य का कोई खण्डन नही किया गया है। वादी का वाद पत्र पूर्णतया सावित होने से डिक्री किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय तनकीवार निम्नानुसार है :-

तनकी नम्बर 1 :- तनकी नम्बर 01 को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी नम्बर 01 में सबसे पहले प्रश्न पैदा यह होता है कि वादी पोकर स्वर्गीय मंगलाराम का वारिस है या नही और वादग्रस्त भूमि मंगलाराम की खातेदारी काश्त की पैतृक भूमि रही है या नही। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपने जवाब दावे में इस प्रश्न को स्वयं स्वीकार कर यह साबित किया है कि वादग्रस्त भूमि मंगलाराम की खातेदारी काश्त की पैतृक भूमि रही है तथा स्वर्गीय मंगलाराम की वंशावली को भी स्वीकार कर मंगला के पुत्र हनुता व हनुता के पुत्र पोकर पैदा होना भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अब तनकी नम्बर 1 में न्यायायल के समक्ष यह प्रश्न पूर्णरूप से साबित हो गया कि भूमि मंगलाराम. की खातेदारी की पैतृक रही है और वादी पोकर उसका प्रथम अनुसूची का वारिस है। कानूनन जो तथ्य वादी व प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत होते है उन्हे साबित करने की आवश्यकता नही होती है। इस वाद में तनकी नम्बर 1 में मंगलाराम की सम्पति में क्या हनुता का अधिकार था, जो मंगलाराम के जीवनकाल में ही फौत हो गया था और हनुता का वादी पुत्र है या नही। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की जवाबदेही से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भूमि मंगलाराम की पैतृक रही है और हनुता मंगलाराम का पुत्र है तथा हनुता का पुत्र पोकर है ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी अपने पूर्वजों से प्राप्त भूमि में हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है किसी भी प्रतिवादीगण ने इस तथ्य को इन्कार नहीं किया है और अलग से साबित नही किया है कि हनुता को इस भूमि में किस कारण से हक अधिकार प्राप्त नहीं है। जहां तक वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का प्रश्न है वादी ने नकल जमाबंदी, नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल खसरा गिरदावरी, नकल मुआवजा पत्र, नकल विधुत बिल, नकल क्षतिपूर्ति पत्र आदि पेश किये है, जिसमें खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016 में वादी पोकर पुत्र हनुता 1/4 हिस्से पर काविज काश्त दर्ज रहा है। इसी प्रकार दिनांक 28.10.2014 को राजस्थान विधुत नियामक आयोग के पारेषण लाईसेंस द्वारा लाईन के निर्माण में होने वाली क्षति का मुआवजे के विषय में जो मुआवजा राशि 15,250/- रूपये दी गई है वही वादी पोकर के फौत होने से उसके हिस्से पर काबिज पोकर के पुत्र भंवर लाल पुत्र पोकर को 1.00 हैक्टेयर भूमि में चने की फसल का नुकसान होने पर अदा की गई है। उक्त कम्पनी के अधिकारियों द्वारा मौके पर भंवरलाल को काबिज काश्त माना है। इस तरह प्रतिवादीगण की तमाम स्वीकारोक्ति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह भलीभांति साबित है कि वादी मृतक पोकर स्वर्गीय मंगला का पुत्र है तथा पोकर का हनुता पुत्र है। वादी का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा है तथा मोके पर भौतिक रूप से काविज रहा है। अब न्यायालय के समक्ष प्रश्न है कि वादग्रस्त भूमि में स्थित विधुत पम्पिंग सैट में वादी का हिस्सा है या नही जबकि वादी का रिकार्ड में नाम दर्ज नही हुआ और विश्वास तौर पर मौके काबिज काश्त रहा है और विधुत पम्पिंग सैट मे अपने 1/4 हिस्से का खर्चा देता रहा है। उक्त विधुत पम्पिंग सैट से अपने हिस्से की भूमि को सिचिंत करता रहा है तो वादी का उक्त विधुत पम्पिंग सैट में हिस्सा कैसे नही है जब प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से जवाब दावा में यह स्वीकार करते है कि खसरा नम्बर 258 मे से 11 बीघा 4 बिश्वा भूमि काश्त करता है। विधुत कम्पनी भी मुआवजा राशि चना की फसल के नुकसान देता है ऐसे मे यह तथ्य भी वादी के पक्ष में है। वादी पोकर के पूर्व बयान व वर्तमान में भंवरलाल के बयानों से यह कहीं नहीं आया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नही रहा है बल्कि जिरह से यह प्रमाणित है कि मंगला का पुत्र हनुता था, हनुता के पोकर पैदा हुआ जिसका मौके पर कब्जा काश्त है। इस तरह तनकी नम्बर 1 पूर्णतया वादी द्वारा साबित की गई है। प्रतिवादीगण की यह जवाबदेही नही रही है कि वादी के पास इस भूमि के अलावा मंगलाराम ने अन्य कोई जमीन देकर अलग किया हो। वर्णित विवचेना अनुसार तनकी नम्बर 1 वादी के हक निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

तनकी नम्बर 2 :— इस तनकी को साबित करने भार वादीगण पर है। उक्त तनकी स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। वादी द्वारा स्वर्गीय मंगलाराम की पैतृक भूमि में अपना हिस्सा 1/4 एवं उक्त हिस्से पर कब्जा काश्त साबित कर दिया है हालांकि प्रतिवादीगण ने वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त स्वीकार किया है उसमें मकान बने हुये है विधुत कनेक्शन है मौके पर फसल काश्त कर रखी है वह खसरा गिरदावरी व फसल मुआवजा राशि पात्र से स्पष्ट कब्जा साबित रहा है। इस तरह तनकी नम्बर 2 भी वादी अपने पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः तनकी नम्बर 2 भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :— इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार व मौके पर कब्जा काश्त साबित कर तनकी नम्बर–1 साबित कर चुका है तो मौके पर वादी को उसका हिस्सा 7/24 का बंटवारा कर सम्भलाया जाना व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करना न्यायोचित है। जब तनकी नम्बर 1 में वादी अपनी खातेदारी व मंगला का विधिक वारिस होने के आधार पर खातेदार काश्तकार है तो उसे बंटवारा कर भूमि सम्भलाई जाने में कोई बाधा/अड़चन नही रह जाती है। ऐसी स्थिति में तनकी नम्बर 3 भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4 :— तनकी नम्बर 4 कानूनी प्रावधरन से सम्बन्धित है। प्रथम तो प्रतिवादी नम्बर 5 के विरूद्ध वाद में कोई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रतिवादी नम्बर 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर कोई आपति अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी बाबत नही की है। कानूनन अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी के नोटिस नही दिये जाने की आपति केवल वह पक्षकार कर सकता है जिसके विरूद्ध अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया गया हो यह केवल इस तरह की आपति का अधिकार प्रतिवादी नम्बर 5 को है। इस प्रकार इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर होने से उनके खिलाफ स्वतः ही साबित हो जाती है। अतः तनकी नम्बर 4 प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 5 :— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। तनकी नम्बर 1 लगायत 3 को वादी अपने पक्ष में सफल रहा है तो यह तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वतः ही साबित है। तमाम साक्ष्य व वादी के वाद के प्रकथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपने जवाब दावे में स्वीकार कर निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया है। हालांकि कानूनन जिन कथनों को विपक्षी पक्षकार द्वारा स्वीकार कर लेने पर साक्ष्य से साबित करना आवश्यक नही है। वादी के वाद में वादग्रस्त भूमि मंगलाराम की पैतृक भूमि साबित है। मंगलाराम की वंशावली प्रतिवादीगण स्वीकार करते है जब मंगलाराम की पैतृक भूमि है तो उसके वारिस हनुता का 1/4 हिस्सा है और हनुता का पुत्र पोकर है इस तथ्य को प्रतिवादीगण अपने जवाब दावा में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है तथा साक्ष्य से भी पूर्णतया साबित है। अतः तनकी नम्बर 5 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

अनुतोष :—

उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी मंगलाराम की खातेदारी की भूमि गत खसरा नम्बर 258 रकबा 33 बीघा 13 बिश्वा, खसरा नम्बर 261 रकबा 1 बिश्वा, खसरा नम्बर 262/1 रकबा 39 बीघा 7 बिश्वा कुल किता 3 कुल रकबा 73 बीघा 1 बिश्वा जिसमें से मंगलाराम द्वारा विक्रय की गई भूमि खसरा नम्बर 262 में से 19 बिश्वा एवं 6 बीघा 10 बिश्वा कुल रकबा 39 बिघा 7 बिश्वा में से कम करने पर 31 बीघा 18 बिश्वा शेष रहती है। इस प्रकार मंगलाराम की खातेदारी में खसरा नम्बर 258 रकबा 33 बीघा 13 बिश्वा, खसरा नम्बर 261 रकबा 1 बिश्वा एवं खसरा नम्बर 262/1 रकबा 31 बीघा 18 बिश्वा कुल किता 3 कुल रकबा 65 बीघा 12 बिश्वा शेष रहती है। मंगलाराम की विरासत के अनुसार 65 बीघा 12 बिश्वा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 लगायत 10 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा होना प्रमाणित है। मंगलाराम द्वारा विक्रय की गई भूमि का नवीन खसरा नम्बर 117 बना हुआ है। इस खसरा नम्बर 117 के संदर्भ में किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

है। मंगलाराम की खातेदारी की भूमि गत खसरा नम्बर 258, 261, 262/1 के हाल खसरा नम्बर 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116 वाके ग्राम दुर्जनपुरा में मंगलाराम की खातेदारी की भूमि है। वाद पत्र के पैरा नम्बर 01 में मंगलाराम की अंकित वंशावली अनुसार हनुताराम, सुरजाराम, बिड़दूराम, गुल्लाराम विधिक वारिसान है। हनुताराम सुरजाराम, बिड़दूराम, गुल्लाराम फौत हो चुके है। हनुताराम जायंदा संतान पोकर एवं जवाहरा है। जवाहरा भी नाऔलाद व पोकर फौत हो चुका है। पोकर के विधिक वारिसान वादीगण 1 लगायत 3 है तथा सुरजाराम के प्रतिवादी नम्बर 1 एवं बिडडूराम के प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/2 तथा गुलाराम प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 विधिक वारिसान है। चूंकि हनुताराम, सुरजाराम, बिडदूराम, गुल्लाराम फौत होने पर विवादग्रस्त भूमि का इनके विधिक वारिसान को वादीगण 1 लगायत 3 प्रत्येक का हिस्सा 1/12–1/12, प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादीगण संख्या 2/1 व 2/2 प्रत्येक का हिस्सा 1/8–1/8 तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 प्रत्येक का हिस्सा 1/32–1/32 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी है एवं उक्त खसरा नम्बर के संदर्भ में प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व मं किया गया विभाजन निरस्त किया जाना न्यायोचित होने से पूर्व के विभाजन को निरस्त करवाना के अधिकारी है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वाके राजस्व ग्राम दुर्जनपुरा स्थित मंगलाराम की खातेदारी की भूमि गत खसरा नम्बर 258, 261, 262/1 के हाल खसरा नम्बर 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116 मंगलाराम की खातेदारी की भूमि है। वाद पत्र के पैरा नम्बर 01 में मंगलाराम की अंकित वंशावली अनुसार हनुताराम, सुरजाराम, बिड़दूराम, गुल्लाराम विधिक वारिसान है। हनुताराम सुरजाराम, बिड़दूराम, गुल्लाराम फौत हो चुके है। हनुताराम जायंदा संतान पोकर एवं जवाहरा है। जवाहरा भी नाऔलाद व पोकर भी फौत हो चुका है। पोकर के विधिक वारिसान वादीगण 1 लगायत 3 है तथा सुरजाराम के प्रतिवादी नम्बर 1 एवं बिडडूराम के प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/2 तथा गुलाराम प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 विधिक वारिसान है। चूंकि हनुताराम, सुरजाराम, बिड़दूराम, गुल्लाराम फौत होने पर विवादग्रस्त भूमि का इनके विधिक वारिसान को वादीगण 1 लगायत 3 प्रत्येक का हिस्सा 1/12–1/12, प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादीगण संख्या 2/1 व 2/2 प्रत्येक का हिस्सा 1/8–1/8 तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 प्रत्येक का हिस्सा 1/32 –1/32 का खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बरान् के संदर्भ में प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में किया गया विभाजन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पक्षकारान विभाजन हेतु नये सिरे से विभाजन का वाद लाने हेतु स्वतंत्र है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Scanned with CamScanner